पत्रांक–12/पद सृजन–2201/2026–सा0प्र0– 2223/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **वित्त विभाग,**
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–30/01/2026

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिये मूल कोटि के अपुनरीक्षित पे बैंड–9,300 – 34,800/–, ग्रेड पे–5,400/– तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल–101 पदों का स्थायी रूप से सृजन के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भू–राजस्व संबंधी कार्य बोझ लगातार बढ़ने के फलस्वरूप अनुमंडल एवं जिला स्तर के बीच राजस्व संबंधी मामलों में समन्वय स्थापित करने एवं भू–राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक अनुमंडल में एक–एक अतिरिक्त प्रशासनिक पदाधिकारी को पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि में अपुनरीक्षित पे बैंड–9,300–34,800/–, ग्रेड पे–5,400/– तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल–101 पद स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना है। अतएव उपर्युक्त भूमि सुधार उप समाहर्ता का नवसृजित पद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगे।

4. नवसृजित पद–'भूमि सुधार उप समाहर्ता' के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट–1 के तहत कार्यों के निष्पादन हेतु शक्तियाँ प्रदत्त होंगी।

5. भूमि सुधार उप समाहर्ता के 101 पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रू0–11,94,03,816.00 (ग्यारह करोड़ चौरानबे लाख तीन हजार आठ सौ सोलह) मात्र होगा (व्यय विवरणी परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न)। यद्यपि कि उपर्युक्त अनुमानित व्यय वेतनमान के निम्नतम प्रक्रम पर परिगणित किया गया है, इसमें पदाधिकारियों के पदस्थापन के अनुसार परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी। इस वित्तीय भार का वहन 33–सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन मुख्य शीर्ष जिला, 2053–जिला प्रशासन–00–094 अन्य स्थापनाएँ–0001–अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड–33–2053000940001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. दिनांक–28.01.2026 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में मद सं0–01 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है।

7. दिनांक–29.01.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0–30 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/1/26

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–12/पद सृजन–2201/2026–सा.प्र. 2223 **/पटना, दिनांक–**30.01.**2026**

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–12/पद सृजन–2201/2026–सा.प्र. 2223 **/पटना, दिनांक–**30.01.**2026**

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संलेख ज्ञापांक–2001, दिनांक–28.01.2026 में सन्निहित प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–29.01.2026 में मद सं0–30 के रूप में स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–12/पद सृजन–2201/2026–सा.प्र. 2223 **/पटना, दिनांक–**30.01.**2026**

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–12/पद सृजन–2201/2026–सा.प्र. 2223 **/पटना, दिनांक–**30.01.**2026**

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26

सरकार के अपर सचिव

परिशिष्ट–1

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन नवसृजित पद–"भूमि सुधार उप समाहर्त्ता" को कार्य निष्पादन हेतु प्रदत्त शक्तियाँ।

भूमि विवाद, दाखिल–खारिज, जमाबंदी रद्दीकरण संबंधी प्रस्ताव, सिलिंग, बटाईदारी, लोक भूमि अतिक्रमण, भू–मापी, सैरात बन्दोबस्त/परता संबंधी कार्य, राजस्व न्यायालय के रूप में आदेश पारित करना तथा निम्नांकित विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन किये जाने की शक्तियाँ प्रदत्त होंगी:–

(क) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009
(ख) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत वादों का निर्णय।
(ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
(घ) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961
(ड.) बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956
(च) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011
(छ) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011
(ज) बिहार खासमहाल हस्तक, 1953
(झ) मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना, 2024 के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को पूर्णतः quasi-judicial officer के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ होंगी तथा राज्य सरकार भविष्य में समय–समय पर बनाये जाने वाले राजस्व संबंधी विभिन्न अधिनियमों/नियमावली के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगी।

30/1/26

(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना

E:\New folder\PPS.docx

(

<u>*परिशिष्ट–2*</u>

नियमित स्थापना के अन्तर्गत स्थायी पद सृजन की व्यय–विवरणी

क्रम सं0	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	पे–मैट्रिक्स लेवल	मूल वेतन	महँगाई भत्ता 58%	मकान भाड़ा भत्ता 20%	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग	वित्तीय वर्ष में संभावित अनुमानित वार्षिक व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	101	लेवल–9	53,100.00	30,798.00	10,620.00	3,000.00	1,000.00	98,518.00	11,94,03,816.00	

ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख तीन हजार आठ सौ सोलह रूपये मात्र।

30/1/26

(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।